IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.16005 of 2026

CNR No. BRHC010965802026

==========

Anuj Kumar Son of Sri Shiv Kumar Prasad, Gram and Post - Chhota Jamuara, Thana Narhat, Distt. Nawada, State Bihar - Pin Code - 801503.

... ... Petitioner/s

Versus

1. Union of India Through the Central Home Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, North Block, New Delhi.
2. Director General, Border Security Force, New Delhi.
3. Inspector General, Frontier Headquarters North Bengal.
4. Inspector General, S.T. C., B.S.F. Tekanpur, Gwalior, Madhya Pradesh.
5. A.D.G., B.M.P., Akadmi, Tekanpur, District - Gwalior, Madhya Pradesh.
6. Assistant Commandant (Ministry) for Inspector General, Frontier Headquarters, North Bengal.

... ... Respondent/s

==========

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr.Indradeo Prasad, Adv.
Mr.Rajeev Kumar, Adv.
For the Respondent/s : Mr.Maurya Vijay Chandra, Sr. CGC
Mr.Ram Tujabh Singh, CGC
Ms.Preety Ranjan, Adv.

==========

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE DR. ANSHUMAN

ORAL ORDER

2 29-10-2026 प्रस्तुत याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आवेदक के द्वारा दाखिल किया गया है जिसमें आवेदक ने इस माननीय न्यायालय से इस अनुतोष की मांग गई है की आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक, 03.07.2026 पर विधिवत आदेश पारित किए जाने का आदेश, अपर महानिरीक्षक ए0 डी0 जी0 बी0 2020 एम0 पी0 एकादमी टेकनपुर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश को दिया जाए|

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि आवेदक का चयन सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक (GD) में कर्मचारी चयन

WEB COPY

आयोग परीक्षा 2020 के घोषित परिणाम दिनांक 20.08.2023 के आलोक में हुआ था|

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है कि नियुक्ति के पूर्व आवेदक को चिकित्सीय जांच परीक्षा में सक्षम पाए जाने के उपरांत उसे नियुक्ति पत्र दिया गया था| इस आलोक में उसका आरक्षक (GD) के पद पर SHQ BSF जलपाईगुड़ी द्वारा आदेश संख्या Estt/SHQ-JPG/2023/18369-75 दिनांक 11.11.2023 के द्वारा दिया गया था और इसके उपरांत उसके बुनियादी सैन्य बल प्रशिक्षण हेतु भेजा गया| प्रशिक्षण के पूर्व आवेदक को चिकित्सीय जांच में पूर्णतः सक्षम पाया गया था| परंतु प्रशिक्षण के दौरान उसे दाईं आँख में चोट आई थी और इसके उपरांत उसका इलाज हुआ जिसके तहत वह पूर्ण रूप से अपनी कार्य को निभाने में सक्षम हुआ| परंतु आवेदक को महानिरीक्षक के कार्यालय से एक आदेश संख्या 1569-94 दिनांक 05.02.2026 प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उसके दाहिने आँख में ख़राबी बताते हुए उसे सेवा से हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया|

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का पुनः यह कथन है की महानिरीक्षक एस0 टी0 सी0 बी0 एस0 एफ0 टेकनपुर ग्वालियर, मध्य प्रदेश के आदेश दिनांक 05.02.2026 से विक्षुब्ध होने की स्थिति में अपर महानिरीक्षक ए0 डी0 जी0 बी0 एम0 पी0 एकादमी टेकनपुर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश के समक्ष तीन महीने के अंदर महानिरीक्षक के उस आदेश को चुनौती दे सकने का निर्देश है।

WEB COPY

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन है की आदेश दिनांक सकने का निर्देश है। 05.02.2026 के उक्त निर्देश के आलोक में आवेदक ने अनुलग्नक पी/5 के द्वारा अपर महानिरीक्षक ए0 डी0 जी0 बी0 एम0 पी0 एकादमी टेकनपुर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश के समक्ष एक आवेदन दिनांक 05.02.2026 के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल किया है। जिसे उसने दिनांक 07.03.2026 को स्पीड पोस्ट के द्वारा प्रतिवादी सं0 5 के कार्यालय में भेज दिया और उक्त कार्यालय ने इसे 11.03.2026 को प्राप्त किया, परंतु उसके बाद भी आवेदक के इस आवेदन दिनांक 07.03.2026 (अनुलग्नक पी/5) पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके उपरांत आवेदक ने इस माननीय उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस याचिका को दाखिल करते हुए प्रतिवादी संख्या 5 को रिट निर्गत करने का अनुरोध करते हैं।

6. भारतीय संघ के विद्वान अधिवक्ता का इस संबंध में यह कथन है कि उत्तर देने हेतू समय दिया जाये ताकि आवेदक के अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय के संबंध में सूचना दी जा सके।

7. दोनो पक्षकारों को सुनने, इस याचिका में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं परिशीलन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचती है कि आवेदक ने महानिरीक्षक के आदेश दिनांक 05.02.2026 में दिये गए निर्देश के आलोक में आवेदन अपर महानिरीक्षक ए0 डी0 जी0 बी0 एम0 पी0 एकादमी टेकनपुर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश के

WEB COPY

समक्ष अनुलग्नक पी/5 के द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा था जिसपर निर्णय लेना प्रतिवादी सं0 5 के द्वारा कानूनन अपेक्षित है।

8. उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में यह न्यायालय इस रिट याचिका को बिना कारण लंबित नहीं रखना चाहती हैं। अतः प्रतिवादी सं0 5 को निर्देश देती है कि, वह इस वर्तमान रिट याचिका के आदेश को उसके समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिनों के अंदर अनुलग्नक पी/5 पर विहित कानून के आलोक में सकारण और मुखर आदेश पारित करें और पारित आदेश की एक प्रति आवेदक को उपलब्ध करायेंगे।

9. इस आदेश के साथ इस रिट याचिका का निष्पादन किया जाता है।

(Dr. Anshuman, J)

Prakashmani/-

U			

WEB COPY